

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- अक्टूबर 21, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *112 वाहनों का चालान , 07 वाहनों से कुल 6800/-रूपया शमन शुल्क वसूल* किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा *188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 20* व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व *मास्क न लगाने वाले कुल- 72 व्यक्तियों से 7200/- रुपये शमन शुल्क* वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से *कुल- 34 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार* कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया। व धारा 290 भादवि मे 27 चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय किया गया।

अबकारी अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्तगण 1. झिनक साहनी पुत्र रामभरोसा नि0 बीट नर्सरी कोतवाली महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0-230/20 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2. रामलखन पुत्र रमेशर नि0 खालिगढ पुरन्दरपुर महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0-231/20 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्तगण 1. संजय जयसवाल पुत्र विजय नि0 कोहरगड्डी बरगदवा महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0-131/20 धारा-60/63 अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2. पिन्टू सिंह पुत्र गलेन्द्र नि0 गलेरेई परसामलिक महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0-132/20 धारा-60/63 अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

3. बेईली पत्नी योगेन्द्रगिरी नि0 किशुनपुर परसामलिक महाराजगंज के कब्जे से 04 ली0 कच्ची अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0-133/20 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना सोहगीबरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. विक्रम निषाद उर्फ विकाऊ पुत्र कोलई नि0 सोहगीबरवा महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0-08/20 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2. अमर उर्फ गंगासागर पुत्र अमन विन्द नि0 सोहगीबरवा महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0-09/20 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कस्टम अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त चन्द्रभान पुत्र राजमन नि0 करमहवा थाना नौतनवा मह0 जनपद महाराजगंज के कब्जे से 07 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 11 कस्टम अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से 450 किलोग्राम मटर बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 11 कस्टम अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए *कुल- 17 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 19/20-10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 41 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।